

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- १२० दिनांक:- २३/११/१६

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची।

**विषय :-** पलामू जिला में मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत अमानत बराज से कैनाल निर्माण हेतु 127.85 हे० वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

**प्रसंग :-** वन विभागीय पत्र संख्या 3468 दिनांक 19.07.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/JH/IRRIG/15780/2015/583 दिनांक 30.06.2016 द्वारा अमानत बराज से कैनाल निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर छः (6) बिन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई थी। जिसका अनुपालन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के द्वारा ऑन-लाईन कर दिया गया है। उक्त अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर के पत्रांक 3011 दिनांक 09.09.2016 द्वारा हार्ड कॉपी में इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

| क्र०सं० | पृच्छित बिन्दु                                                                               | अनुपालन की स्थिति                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Catchment Area Treatment Plan since it is an irrigation project                              | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि वन भूमि का अपयोजन कैनाल निर्माण हेतु है। अतः Catchment Area Treatment की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवेदन संलग्न Annexure-A |
| 2       | Cost benefit analysis in Ministry's prescribed format.                                       | प्रतिवेदन संलग्न है Annexure-B                                                                                                                                      |
| 3       | Part-I and part-II as prescribed by the Ministry and duly signed by the competent authority. | प्रतिवेदन संलग्न है Annexure-C & Annexure-D                                                                                                                         |
| 4       | Copy of the Environmental Clearance under the Environment (Protection) Act, 1980.            | प्रतिवेदन संलग्न है Annexure-E                                                                                                                                      |

|   |                                                                |                                 |
|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5 | Summary of girth-wise and species-wise tree details.           | प्रतिवेदन संलग्न है Annexure-F. |
| 6 | Details of the forest area calculation proposed for diversion. | प्रतिवेदन संलग्न है Annexure-G. |

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर के प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी सहमत है। अनुपालन प्रतिवेदन के संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

अतः यथोचित कार्रवाई हेतु उक्त अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियों में अत्रसह संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/9/16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

| क्र.सं. | प्रतिवेदन               | प्रतिवेदन की प्रतिलिपि  |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 1       | Annexure-A              | Annexure-A              |
| 2       | Annexure-B              | Annexure-B              |
| 3       | Annexure-C & Annexure-D | Annexure-C & Annexure-D |
| 4       | Annexure-E              | Annexure-E              |

**कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर।**

प्रेषक,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
पलामू, मेदिनीनगर।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-  
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,  
झारखण्ड, रांची।

मेदिनीनगर, दिनांक 20.09.16

विषय :

पलामू जिला में मेदिनीनगर वन प्रमण्डल अन्तर्गत अमानत बराज से कैनाल निर्माण हेतु 127.85 हे० वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग:-

आपके कार्यालय का पत्र संख्या 809 दिनांक 19.08.2016.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय रांची के पत्रांक FP/JH/IRRIG/15780/2015/583 दिनांक 30.06.2016 द्वारा अमानत बराज से कैनाल निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर निम्नलिखित विन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई थी। जिसका अनुपालन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के द्वारा ऑन-लाईन कर दिया गया है। इस संबंध में छः विन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है :-

| क्र०सं० | पृच्छित बिन्दु                                                                               | अनुपालन की स्थिति                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3                                                                                                                                                                   |
| 1       | Catchment Area Treatment Plan since it is an irrigation project                              | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि वन भूमि का अपयोजन कैनाल निर्माण हेतु है। अतः Catchment Area Treatment की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवेदन संलग्न Annexure-A |
| 2       | Cost benefit analysis in Ministry's prescribed format.                                       | प्रतिवेदन संलग्न है Annexure-B                                                                                                                                      |
| 3       | Part-I and part-II as prescribed by the Ministry and duly signed by the competent authority. | प्रतिवेदन संलग्न है Annexure-c & Annexure-D                                                                                                                         |
| 4       | Copy of the Environmental Clearance under the Environment(Protection) Act,1980.              | प्रतिवेदन संलग्न है Annexure-E.                                                                                                                                     |
| 5       | Summary of girth-wise and species-wise tree details.                                         | प्रतिवेदन संलग्न है Annexure-F.                                                                                                                                     |
| 6       | Details of the forest area calculation proposed for diversion.                               | प्रतिवेदन संलग्न है Annexure-G.                                                                                                                                     |

|   |                                                                |                                 |
|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5 | Summary of girth-wise and species-wise tree details.           | प्रतिवेदन संलग्न है Annexure-F. |
| 6 | Details of the forest area calculation proposed for diversion. | प्रतिवेदन संलग्न है Annexure-G. |

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर के प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी सहमत है। अनुपालन प्रतिवेदन के संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

अतः यथोचित कार्रवाई हेतु उक्त अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियों में अत्रसह संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु०:—यथोक्त।

विश्वसभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक  
बृंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

| क्र.सं. | प्रतिवेदन                                                                                    | प्रतिवेदन के संलग्न |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1       | Cost benefit analysis in Ministry's prescribed format.                                       | Annexure-A          |
| 2       | Part-I and part-II as prescribed by the Ministry and duly signed by the competent authority. | Annexure-B          |
| 3       | Copy of the Environmental Clearance under the Environment (Protection) Act, 1986.            | Annexure-C & D      |
| 4       |                                                                                              | Annexure-E          |